विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग
तारांकित प्रश्न संख्या	:	910
उत्तर की तिथि	:	11.12.2018
विषय	:	नवाही माता मन्दिर अधिग्रहण
प्रश्नकर्त्ता का नाम	:	श्री इन्द्र सिंह (सरकाघाट)
सम्बन्धित मंत्री	:	मुख्यमंत्री

प्रश्न	उत्तर
(क) यह सत्य है कि जिला मण्डी में नवाही माता मन्दिर का अधिग्रहण सरकार द्वारा कर लिया गया है ;	(क), (ख) और (ग) से सम्बन्धित सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख) यदि हां, तो कब और इसके अधिग्रहण के उपरांत 31.10.2018 तक कितनी धनराशि दान / चढ़ावे के रूप में एकत्रित हुई; ब्यौरा वर्षवार दें; और	

(ग) इस धनराशि में से मन्दिर के रख–रखाव हेतु कितना व्यय किया गया; ब्यौरा वर्षवार दें ?

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्याः 910 जो श्री इन्द्र सिंह, माननीय विधायक, (सरकाघाट) द्वारा नवाही देवी मन्दिर अधिग्रहण बारे पूछा गया है से सम्बन्धित सूचना :

(क) जी हां । श्री नवाही देवी माता मन्दिर का अधिग्रहण प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः एल.सी.डी–एफ(1)–4/2006 दिनांक 23.03.2007 द्वारा किया गया।

(ख) वर्ष 2007 से लेकर दिनांक 19.01.2017 तक का समस्त रिकॉर्ड मय कैश बुक सी0आई0डी0 विभाग द्वारा जांच हेतु अपने अधीन लिया गया है। दिनांक 20.01.2017 से 31.10.2018 तक श्री नवाही माता मन्दिर में दान/चढ़ावे के रूप में एकत्रित राशि का वर्ष वार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

क्र० सं०	वर्ष	राशि आय के रूप में (रुपये)
1)	वर्ष 2017 (20.01.17 से 31.12.2017 तक)	22,22,682.00
2)	वर्ष 2018 (01.01.2018 से 31.10.2018 तक)	31,25,896.00
	कुल आय का योग	53,48,578.00

(ग) दिनांक 20.01.2017 से दिनांक 31.10.2018 तक मन्दिर के रख–रखाव पर व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र० सं०	वर्ष	राशि व्यय के रूप में (रुपये)
1)	वर्ष 2017 (20.01.17 से 31.12.2017 तक)	7,71,270.00
2)	वर्ष 2018 (01.01.2018 से 31.10.2018 तक)	9,88,157.00
	कुल व्यय का योग	17,59,427.00